मृत्यु दावा भुगतान नियमावली

समिति नियमानुसार समिति द्वारा दिये जाने वाले प्रत्येक ऋण में ऋण भुगतान के समय ऋण रकम का 1'एक' प्रतिशत लेकर सिक्यूरिटि डिपोजिट मद में सुरक्षित रखा जाता है । इस मद का लाभ ऋण लेने वाले खाताधारी सदस्यों को मरनोपरान्त यदि ऋण बकाया हो तब उस स्थिति में दिया जाता है । किसी भी खातेधारी सदस्य द्वारा मृत्यु दावा दिये जाने की स्थिति में समिति नियमानुसार निम्न बिंदुओं की जाँच की जाती है –

1- यह कि खाताधारी सदस्य द्वारा डिपोजीट खाते पर ऋण भुगतान मृत्यु के पूर्व लिया गया हो और मृत्यु तारीख पर ऋण बकाया हो ।

2- यह कि खाताधारी सदस्य द्वारा समिति नियमानुसार जमा एवं ऋण खाते पर नियमित रकम समिति कार्यालय में जमा हो रहा हो । उदाहरण स्वरूप यदि किसी खाताधारी सदस्य ने डी0डी01 का जमा खाता 100 रू0 प्रतिदिन का खुलवाया हो और उसपर ऋण लिया हो, तब उसे समिति नियमानुसार जमा खाते पर 100 रू 0 प्रतिदिन एवं ऋण खाते पर 100 रू0 प्रतिदिन देना आवश्यक होगा तब ही वह खाताधारी सदस्य मरनोपरान्त मृत्यु दावे के लिए योग्य मान्य होगा । जमा या ऋण दोनो में से किसी भी खाते में जमा अनियमित होने की दशा में मृत्यु तारीख तक के ऋण रकम पर कोई दावा भुगतान समिति द्वारा देय नहीं होगा ।

3- यह कि खाताधारी सदस्य द्वारा समिति में खाता खुलवाते समय अपने नामांकित पारिवारिक सदस्य अर्थात नोमनि का नाम एवं फोटो समिति कार्यालय में जमा किया गया हो । यदि खाताधारी सदस्य द्वारा नोमनि नहीं बताया गया हो उस स्थिति में कानूनी रूप से जो व्यक्ति खाताधारी सदस्य का नोमनि होगा उसे ही समिति मान्य करेगी ।

4- यह कि खाताधारी सदस्य के मृत्यु के पश्चात मृत्यु दावा करने हेतु मृत्यु प्रमाण पत्र, पंचनामा, वैद्य नोमनि द्वारा भुगतान हेतु लिखित आवेदन एवं आवेदन पर उस खाताधारी सदस्य के एम0एम0, डी0ओ0,एस0डी0ओ0 के द्वारा लिखित अनुशंसा देना आवश्यक होगा ।

5- यह कि खाताधारी सदस्य के नोमनि को भुगतान शाखा के द्वारा जाँच कर किया जाएगा और भुगतान प्रक्रिया की फोटोग्राफी होनी आवश्यक होगी ।

6- यह कि उपरोक्त सभी दस्तावेजों के साथ नियमानुसार समिति शाखा कार्यालय में दावा प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त 10 दिनों के अंदर पूर्ण निरिक्षण कर दावे का निबटारा किया जाएगा । खाताधारी सदस्य द्वारा दिये गये दावे को लिखित रूप में समिति कार्यालय में देने के पश्चात उसकी प्राप्ति रसीद लेनी आवश्यक होगी । किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में उस प्राप्ति रसीद की तारीख मान्य की जाएगी । मृत्यु दावा दस्तावेज लिखित समिति कार्यालय में जमा कराकर बिना प्राप्ति रसीद के किया गया दावा अवैध माना जाएगा ।

7- यह कि समिति नियमानुसार नियमित खातों पर मृत्यु दावा किये जाने की स्थिती में ऋण रकम एवं अन्य भुगतान शुल्क शत प्रतिशत समिति द्वारा देय होगा और नोमनि को उस खाते का पूरा जमा रकम भुगतान किया जाएगा ।